# राजस्थान विधान सभा

## ४० वीं बैठक, सोमवार, दिनांक—१६ जुलाई, सन् १६५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ४ बज कर ६ मिनट
( मध्यान्होत्तर ) पर प्रारम्भ हुई

---

( श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन )

श्री अंगदराम तथा श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल द्वारा शपथ-ग्रहण

**श्री अध्यक्ष**—वे सदस्य जिन्होंने अब तक संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, अब ऐसा करेंगे।

( श्री अंगद राम व श्रीमती कमला कुमारी ने क्रमशः शपथ ग्रहण की )

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री अध्यक्ष**—प्रश्न।

**प्रश्न संख्या १०६७**

**श्री अध्यक्ष**—श्री घासीराम।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या १०६८**

**श्री अध्यक्ष**—श्री चाँदमल मेहता।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या १०६६**

**श्री अध्यक्ष**—श्री तेजमल बापना

( अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

प्रश्न संख्या ११००

## जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर के मैनेजर के विरुद्ध फैक्ट्री एक्ट की अवज्ञा के कारण मुकदमा

श्री श्री दास गोयल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैनेजर जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर के खिलाफ फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत अवज्ञा करने के कारण फौजदारी मुकदमा अदालत एस. डी. एम. सवाई माधोपुर में दायर किया गया है ?

(ख) उस मुकदमें का क्या हुआ ?

(ग) यदि उसे वापिस ले लिया गया तो क्यों ?

(घ) क्या मंत्री को उसे वापिस लिये जाने की आज्ञा होने से पहले अवगत कराया गया ?

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने क्या आदेश दिया ?

(च) यदि नहीं, तो वापसी का आदेश किसने दिया ?

श्री रामकरण जोशी ( स्वायत्त शासन मन्त्री )—(क) हां ?

(ख) मुकदमा वापस ले लिया गया।

(ग) यह मुकदमा जिलाधीश की सिफारिश से वापिस लिया गया।

(घ) नहीं।

(ङ) और ( च ) : इस संबन्ध में कागजात मंगाये गये हैं। संबन्धित कागजात के आने पर जानकारी प्राप्त होते ही बता दिया जावेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार ने जिला मेजिस्ट्रेट की सिफारिश के संबन्ध में जांच की या नहीं कि मुकदमा वास्तव में वापिस लिया जाना चाहिये या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो कानूनी रास्ता है। सारे काम कानूनी रास्ते से ही होते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस संबन्ध में लॉ सेक्रेट्री या कानूनी विभाग से कोई राय ली गई ?

Page No.3



श्री रामकरण जोशी—नहीं, मैंने निवेदन किया कि कागजात मँगाये गये हैं और संबन्धित कागजातों के आने पर पता लगेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कागजात कब तक आ जावेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—कोशिश तो जल्दी की ही की है और जल्दी ही आने चाहिये ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—उनके आने में देरी क्यों हुई ?

श्री रामकरण जोशी—सवालों के आने के बाद ही कागजात की जरूरत हुई।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कितनी रफ्तार से ये सेक्रेट्रियेट में कागज पहुँचते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—वज़न के अनुसार......

कु० श्री जसवन्तसिंह—इन कागज़ों का कितना मन और कितना टन वज़न है ?

श्री रामकरण जोशी—ये कागजात मन और टनों से ज्यादा भारी होते हैं ?

श्री जवानसिंह—इस वज़न के साथ तरी का असर तो नहीं होता ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—जिलाधीश ने किन कारणों के आधार पर इस मुकदमें को वापिस लेने की आज्ञा दी ?

श्री रामकरण जोशी—यह नहीं बता सकता। मैंने पहले भी कहा है कि इस सम्बन्ध में कागजात मँगाये गये हैं और कागजात के आने पर यह बताया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जिलाधीश की राय को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई ?

श्री रामकरण जोशी—जिलाधीश की रिकमन्डेशन की मंजूरी के बाद ही मुकदमा वापिस लिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या बगैर कारण की जाँच किये सरकार ने उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान कर दी ?

श्री रामकरण जोशी—पूरी जाँच हुई होगी लेकिन जब तक इस संबन्ध में पूरे कागजात जो मंगाये गये हैं नहीं आ जावें इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने मंजूरी देते समय किस आधार पर इस मुकदमे को वापिस लेने की मंजूरी दी ?

श्री रामकरण जोशी—आपने मेरा उत्तर नहीं सुना। अगर आप मेरा उत्तर सुनते तो

Page No.4



[ श्री रामकरण जोशी ]

यह प्रश्न नहीं करते। मैं अपने ( घ ) के जवाब में 'नहीं' कह चुका हूँ और आगे के बारे में यह कहा है कि कागजात आने पर इसका जवाब दिया जा सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—On a point of information, sir, सरकारी सदस्य महोदय ने बतलाया कि पूरी जानकारी नहीं होने से (ङ) और (घ) का जवाब नहीं दे सकते, तो क्या यह उत्तर इनकम्पलीट रहेगा ?

श्री रामकरण जोशी— प्रश्न का उत्तर तो जितना दे सकते थे, दिया गया है।

श्री श्रीदास गोयल—जब सवाल का जवाब दिया है तो जो प्रश्न का उत्तर देना रह गया है व स्वयं......

श्री रामकरण जोशी—कागजात मंगाये हैं, आने पर और जानकारी होने पर उसका उत्तर दे दिया जावेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या स्वतः ही इसका उत्तर दे दिया जावेगा।

श्री रामकरण जोशी—जैसा कायदा है उसके अनुसार काम किया जावेगा।

श्री श्रीदास गोयल—On a point of order, Sir, एक प्रश्न का उत्तर जब इनकम्पलीट हो तो किस तरह से उस प्रश्न को......

श्री अध्यक्ष—Study the Rules of Procedure. There is a procedure prescribed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, रूल्स ओफ बिजनेस (Rules of Business) में यह बात है, मगर जब प्रश्न के उत्तर के आने में ज्यादा समय लगने का अन्देशा हो तो माननीय अध्यक्ष से इजाजत ले कर THE QUESTION can be placed for answer on a later date.

श्री अध्यक्ष—Then a Half an hour discussion can be raised. If the reply is inadequate, a half an hour discussion can be raised and that reply can be given on that date.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But in case of failure to ask for permission what will be the position ?

श्री अध्यक्ष—Only half-an-hour discussion can be raised.

श्री हरिकृष्ण व्यास—what will be the position in respect to the Hon'ble member in-charge, if he fails to ask for permission.?

श्री अध्यक्ष—It only amounts to inadequate reply and in case where a reply is inadequate only half-an-hour discussion can be raised.

श्री श्रीदास गोयल—मैं यह निवेदन करूंगा कि दो एक सप्लीमेंटरीज़ की मुझे और इजाजत दी जावे। बहुत सारा समय दूसरे मित्रों ने (side-issues) में ले लिया था, इससे रह गये।

क्या यह बताया जा सकेगा कि कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई ?

श्री रामकरण जोशी—यह भी जानकारी आने पर ही बतया जा सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार ने जब इसको वापिस लेने का आदेश दिया तो क्या यह मालूम किया कि कितनी होमीसाइड चीज़ है और क्या इसे वापिस लिया जा सकता है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि (ङ) और (च) के लिए जो बात मैंने कही है, जब तक कागजात न आ जावें फरदर क्वेरीज (Further querries) का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

प्रश्न संख्या ११०१

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ११०२

## सिरोही जिले में कोयले के व्यापारी द्वारा बिना महसूल दिये कोयले का निर्यात

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state :—

Is it a fact that a Coal Contractor at Sarupganj in Sirohi District exported a number of maunds of coal without paying the customs duty during the last four years when all other contractors in this district were paying the customs export duty ?

If so, why ?

[श्री मोहब्बतसिंह]

Is it also a fact that Customs officers took no notice of this ?

**श्री भोलानाथ** (पृथक राजस्व मन्त्री)—हाँ, यह सही है कि एक ठेकेदार ने दो साल से कुछ कम अर्से तक ऐसा किया। उसने ऐसा कस्टम मुलाजमान को यह धोखा देकर किया कि जिस जागीरदार से उसने कोयला बनाने का ठेका लिया है उसने उससे वह मुआहिदा कर लिया है कि ठेकेदार को कस्टम माफ रहेगा।

इस मामले में कस्टम मुलाजमान की गफलत मालूम होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और ठेकेदार मजकूर पर भी मुकदमा चल रहा है।

**श्री मोहब्बतसिंह**—सरकार को कितना महसूल में हरजाना हुआ ? कितने रुपयों का नुकसान हुआ और कितने मन कोयला बिना कस्टम दिये इस ठेकेदार ने निकास किया ?

**श्री भोलानाथ**—हरजाना तो बराबर वसूल किया जायगा जब माफी साबित होगी तो.....

**श्री मोहब्बतसिंह**—माफी देने का अधिकार किसको था ? क्या जागीरदार को माफी देने का अधिकार था ?

**श्री भोलानाथ**—सिरोही में कुछ जागीरदारों को माफी है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—माफी जागीरदारों को होगी, क्या जागीरदारों को किसी दूसरों को माफी देने का अधिकार भी है ?

**श्री भोलानाथ**—जागीरदार को कस्टम अपने माल के आने-जाने के सम्बन्ध में माफ है, मगर ठेकेदार ने धोखा देने की कोशिश की। जागीरदार को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

**श्री मोहब्बतसिंह**—क्या यह सही है कि जो इजाजत दी गई उसमें कुछ रुपये खाकर ऐसी इजाजत दी और उनके इजाजत देने पर ही कोयले का निकास हुआ और नाकेदारों ने इजाजत से ही निकास होने दिया।

**श्री भोलानाथ**—यदि यह साबित हो जायगा तो उसको सजा दी जायगी।

**एक माननीय सदस्य**—यह मुकदमा कहाँ चल रहा है ?

**श्री भोलानाथ**—कस्टम अधिकारी के पास।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—क्या इस सिलसिले में किसी अधिकारी को सस्पेन्ड किया गया है ?

श्री भोलानाथ—इसमें एस. सी. इन्चार्ज भी है, और नीचे के अधिकारी भी। इसलिए कौन अपराधी है, इसकी जाँच हो रही है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या कोयला किसी माइन्स से निकला हुआ था ?

श्री भोलानाथ—यह लकड़ी का कोयला है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—ऐसा कोयला चार कोल होता है।

श्री भोलानाथ—"कोयला" शब्द सभी तरह के कोयले के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

( हँसी )

श्री मोहब्बतसिंह—अब आप महसूल किस तरह से वसूल करेंगे ?

श्री भोलानाथ—जुर्माना होगा, तो जिस प्रकार की वसूली की कार्यवाही होनी चाहिये उसी तरह से होगी। arears of land revenue के तहत भी वसूली की जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या किसी अधिकारी को इस सिलसिले में सस्पेन्ड किया गया है ?

श्री भोलानाथ—अभी इन्क्वायरी हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या रेगुलर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी रेगुलेट की गई है ? और यदि हाँ, तो किसको के जाँच करने लिए नियुक्त किया गया ?

श्री भोलानाथ—डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसको नियुक्त किया गया ?

श्री भोलानाथ—यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह—इस सम्बन्ध में सरकार ने कब हुक्म दिया था ?

श्री भोलानाथ—फरवरी में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करने की आज्ञा किसने प्रदान की ?

श्री भोलानाथ—सी. सी. ने।

श्री मोहब्बतसिंह—कब यह मामला सरकार के नोटिस में आया और कौनसा अधिकारी यह बात सरकार के नोटिस में लाया ?

श्री भोलानाथ—सन् ५३ के अक्टूबर में चला था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस मामले की प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी हो चुकी है ?

श्री भोलानाथ—इन्क्वायरी के स्टेज की मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह—उस अफसर का क्या आप नाम बता सकते हैं जिन्होंने कोयला निकास की इजाजत नहीं दी ?

श्री भोलानाथ—वे ए. सी. थे और शायद वे रिटायर हो चुके है ?

श्री मोहब्बतसिंह—मेरी जानकारी में वे रिटायर नहीं हुए हैं। वे अभी लोमी में हैं और जोधपुर के हैं।

( हँसी )

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या इस इन्क्वायरी पर आप जवाब दे रहे हैं ?

श्री भोलानाथ—क्या जोधपुर वाले अफसर नहीं हो सकते हैं ?

( हँसी )

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० ११०३

श्री चाँदमल मेहता।

( अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

प्रश्न सं० ११०४

श्री तेजपाल।

( अनुपस्थित )

प्रश्न सं० ११०५

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

( अनुपस्थित )

प्रश्न सं० ११०६

ठिकाने द्वारा चलाई जाने वाली चौमू की हाई स्कूल का बन्द होना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer :—

(1) Is the Government aware that the High School, Chomu, run by the Thikana is being closed very shortly ?

(2) Does the Government intend to run the High School ? Has any decision been taken so far in this respect ?

(3) If so, what treatment Government propose to give to the teachers of the High School ?

श्री भोलानाथ ( शिक्षा मन्त्री )—(१) हाँ, ठिकाने ने इस स्कूल को १-७-५४ से बन्द करने का इरादा कर लिया था।

(२) इस स्कूल को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है।

(३) इन अध्यापकों में से जो योग्य हैं उनको सरकारी नौकरी में लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जिन अधिकारियों को सरकारी नौकरी में लिया जा रहा है उनको राजस्थान सरकार से पे ( pay ) किया जावेगा ?

श्री भोलानाथ—इसका मतलब यही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्कूल के टेक ओवर ( take over ) करने के साथ-साथ पूरी जाँच होकर अध्यापकों को लिया जायगा या वैसे के वैसे अध्यापकों को लिया जायगा और बाद में उनका इन्टीग्रेशन किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है।

As it is, will they take over and then integrate or will they first integrate and take only those who are considered adequate ?

श्री अध्यक्ष—क्या पहले जांच होगी और फिर इन्टीग्रेट किया जायगा या पहले इन्टीग्रेशन होगा ?

श्री भोलानाथ—स्कूल्स पहले से लिए जावेंगे और फिर सर्विसेज़ का इन्टीग्रेशन नियमानुसार होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्कूल का स्टाफ भी ओटोमेटिकली ले लिया जायगा ?

श्री भोलानाथ—उसको अभी इन्टीग्रेट नहीं किया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओटोमेटिकली स्टॉफ को ले लिया गया है ?

श्री भोलानाथ—सर्विसेज़ को इन्टीग्रेट नहीं किया गया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—योग्य और अयोग्य का प्रश्न बगैर इन्क्वायरी के कैसे तय होगा ?

श्री भोलानाथ—नियमानुसार होगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यदि किसी को अयोग्य ठहरा दिया गया है तो उसके जो ड्यूज़ हैं उसको देने का क्या प्रबन्ध होगा ?

श्री भोलानाथ—इस प्रकार की सर्विसेज़ के लिए जागीर रिज़म्पशन के सिलसिले में जो नियम बनेंगे उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या हम यह समझें कि ठिकाने के औषधालय वगैरह का जो स्टाफ है उनको भी उन्हीं नियमों के अनुसार समझा जायगा जिस प्रकार कि ठिकाने के कर्मचारी हैं या उनका अलग प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री भोलानाथ—इस सम्बन्ध में रूल्स बनने वाले हैं। जागीर मिनिस्टर साहब इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—जागीर के मुताबिक जो रूल्स बनेंगे उनके अनुसार ही होगा न कि वे ओटोमेटिकली सर्विसेज में समझे जावेंगे।

# Page No.11



प्रश्न संख्या ११०७

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चाँदमल मेहता।

( अनुपस्थित )

प्रश्न संख्या ११०८

श्री लक्ष्मण हीरात।

( अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिए )

प्रश्न संख्या ११०९

श्री तेजपाल।

( अनुपस्थित )

श्री मोहब्बतसिंह।

प्रश्न संख्या १११०

सन् १९५३-५४ में सिरोही में वेजीटेबल घी के स्मगलिंग सम्बन्धी पकड़े गए मामले

श्री मोहब्बतसिंह—Will the minister for Separate Revenue be pleased to state:—

How many cases of smuggling of vegetable ghee have been detected in Sirohi District in the year 1953-54 and by whom?

Were any such cases detected before 1953-54?

श्री भोलानाथ ( पृथक राजस्व मन्त्री )—सिरोही जिले में वनस्पति घी के अवैध आयात के २१ केस सन् १९५३-५४ में विभिन्न कस्टम अधिकारियों द्वारा पकड़े गए।

हाँ, १९५३-५४ से पहले भी इस किस्म के केस पकड़े गये हैं।

श्री मोहब्बतसिंह—कितने केसेज़ पकड़े गए हैं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री भोलानाथ—इसका जरूर उत्तर दूंगा। तसल्ली के साथ सुनना पड़ेगा।

( "जरूर जरूर, बहुत पेशेन्टली" इस प्रकार की आवाज )

# Page No.12



**Statement showing the details of cases of vegetable ghee detected during the year 1953-54**

| S.No. | Case No. | Name of accused. | Name of detecting authority. | Quantity of V. ghee arrested |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 60. | Pratapchand of Pindwara | Chiman Singh, Nakedar | 6 Povas. |
| 2. | 61. | One person. | Modi Lakmichand Amin, thro, Shri Anraj Insp. | 1 Tin. |
| 3. | 68. | Hira Teha. | Shri Chandmal Insp. Sirohi. | 4 tins. |
| 4. | 75. | Ajichand Gaja. | Shri arjraj Insp. Reodar. | 3 Tins. |
| 5. | 76. | Kumar Goma Luba Dholpura | —do— | 1 tin. |
| 6. | 95 | Dhalamchand Manroopji. | Shri Madanmohan C.I. Sirohi. | 30 tins. |
| 7. | 96. | Devichand Jubaji. | Shri Dalichand Insp. Sirohi | 13 tins. |
| 8. | 97. | Sunga Foop Chand Sirohi. | Shri Madanmohan C.I. Sirohi. | 4 tins. |
| 9. | 98. | Mangilal of Nadol. | Raj Singh C I Pandwara. | 2 povas. |
| 10. | 110. | Modi Manuman Moolchand | —do— | 1 pova. |
| 11. | 113. | Rebari Samartha. | —do— | 1 pova. |
| 12. | 123. | Badan Singh. | —do— | 1 pova. |
| 13. | 124. | Dhanraj of Reodar: | Shri Rangraj Chand C.I. Reodar. | 20 tins. |
| 14. | 125. | Bhil Lala. | Shri Raj Singh C. I. Pindwara. | 2 tins and 2 povas. |
| 15. | 126. | Modi Champalal Sheoganj. | Shri Bhim Singh C. I. Sheoganj. | 3 tins. |
| 16. | 127. | Nathmal Barllot. | Gehralal, C. I. Sirohi. | 10 tins. |
| 17. | 129. | Hiralal Luncal. | —do— | 8 tins. |
| 18. | 130. | Modi Girdhari. | —do— | 9 tins. |
| 19. | 131. | Babu Shankar. | —do— | 4 tins, |
| 20. | 131. | Nana Bhika. | —do— | 7 tins. |
| 21. | 133. | Roop Chand. | —do— | 15 tins. |

श्री भोलानाथ (जारी)—अगर आप चाहें तो ५२-५३ के केसेज़ भी पढ़ दूं!

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि इतने केसेज़ डिटेक्टेड (detected) हैं तो अनडिटेक्टेड तो कितने होंगे?

श्री भोलानाथ—यह सवाल अनुमान के आधार पर है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सिरोही कॉंग्रेस की ओर से इस प्रकार की आपके पास दरख्वास्त आई थी, इजाजत हो जानी चाहिए।

श्री भोलानाथ—ऐसी दरख्वास्तें तो सब जगह से आती रहती हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सिरोही में वेजिटेबल घी इतना ज्यादा क्यों जाता है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री भोलानाथ—यह तो स्मग्लर्स की तादाद का सवाल है।

कुँवर श्री जसवन्तसिंह—वेजिटेबल घी इतना पॉपुलर है तो इसका इम्पोर्ट क्यों नहीं करने दिया जाता?

श्री भोलानाथ—२१ आदमियों के चोरी से ले जाने से ही क्या इसका इम्पोर्ट होने दिया जाय?

प्रश्न संख्या ११११

श्री अध्यक्ष—श्री तेजपाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १११२

**सन् १९५४-५५ में शेरगढ़ के लिये पेय-जल के प्रबंधार्थ सरकार द्वारा स्वीकृत रकम**

श्री खेतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान सरकार ने तहसील शेरगढ़ में सन् ५४-५५ में कितना रुपया व्यय करने की मन्जूरी दी है?

(ख) गत वर्ष की मन्जूर शुदा रकम में से कितना रुपया पंचायत विभाग खर्च करने में असमर्थ रहा है और क्यों?

( ग ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि कई गाँवों में नया पंचायत कानून लागू न होने से चुनाव नहीं हो सके हैं जिसके फलस्वरूप वहाँ की पानी की समस्या भी हल नहीं हो रही है। क्या सरकार इस ओर शीघ्रातिशीघ्र कोई ठोस कदम उठायेगी ?

श्री रामकरण जोशी ( स्वायत्त शासन मन्त्री )—

( क ) सन् ५४-५५ में ३०२६० रु० व्यय करने की तजबीज है।

( ख ) गतवर्ष तहसील शेरगढ़ की स्वीकृत रकम रु० २०,००० थी। जिसमें से रु० २६०० की रकम खर्च न हो सकी। क्योंकि भारत सरकार से स्वीकृति काफी देर में आई।

( ग ) जहाँ पन्चायतों के चुनाव नहीं हुए वहाँ जल की समस्या को हल करने के लिए एडहोक कमेटियें स्थापित की जा रही हैं।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार के पास कोई ऐसा डेटा ( data ) है जिसकी मातहत वे बतला सकें कि इस तहसील में इतने गाँव हैं जहां पानी पीने के लिए एक भी कुआ नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—इसके बारे में सारे राजस्थान की सर्वे होनी है, इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री खेतसिंह—जहाँ पर एक भी कुआ नहीं है जनता के लिये उस जगह को प्रायोरिटी देकर वहाँ पहले कुआ खुदवाने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार अपनी योजना के अनुसार कूए खुदवाने में मदद करेगी।

राज श्री हिम्मतसिंह—तीस हजार रूपये की जो मन्जूरी दी गई है उसमें कितने कूए खुद सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी— तीस हजार रुपयों की लागत से कूए नहीं खोदे जायेंगे, बल्कि बीस हजार रूपयों की मदद दी गई है।

राज श्री हिम्मतसिंह—मेरा प्रश्न यह था कि तीस हजार रुपयों में कितने कूए खोदे जायेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—१।३ लोकल लोगों को लगानी पड़ती है और २।३ सरकार की तरफ से मदद मिलती है। किस जगह पर मरम्मत की जरूरत है, किस जगह नये कूए के खुदवाने की जरूरत है; यह सब कार्य निश्चित योजना के मुताबिक होगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—एक कूए के खुदवाने में कितनी कीमत लगती है ?

**श्री रामकरण जोशी**--यह तो आप ज्यादा जानते होंगे राजस्थान में ढाई से तीन हजार रुपये तक कूए के खुदवाने में लगते हैं।

**कु० श्री जसवन्तसिंह**--मेरा प्रश्न यह है कि शेरगढ़ में कूए खुदवाने में कितना पैसा लगता है ?

**श्री जयनारायण व्यास**--इसके लिए मैं जवाब दे दूं, वहाँ हजार रुपये भी लग सकते हैं और पच्चीस हजार भी लग सकते हैं ?

**कु० श्री जसवन्तसिंह**--एक नया कूआ खुदवाने में कहीं एक हजार और कहीं पच्चीस हजार यह कैसे ?

**श्री जयनारायण व्यास**--इसके लिये तो आप वहाँ तशरीफ ले जाइये। यदि नदी के किनारे पर कूआ खोदा जायगा तो वह हजार रूपये में भी खुद सकता है।

**कु० श्री जसवन्तसिंह**--ऐसी भी जगह होगी जहाँ पाँच रुपये में भी खुद सकता होगा।

## प्रश्न संख्या १११३

### भूतपूर्व जयपुर राज्य के पट्टा विभाग के स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी

**श्री नारायण चतुर्वेदी**--क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

( क ) भूतपूर्व जयपुर राज्य के पट्टा विभाग के किन किन कर्मचारियों को स्थायी और किन किन को अस्थायी माना गया है ?

( ख ) अस्थायी और स्थायी मानने के क्या नियम सामने रखे गये हैं ?

( ग ) इस विभाग के किन किन अफसरों को तसीलदारी की ग्रेड दी गई है और किन किन को नहीं दी गई ?

( घ ) जिनको ग्रेड दी गई है उनकी क्या योग्यता है ?

( ङ ) इस विभाग के कितने कर्मचारियों को काम पर लगा रखा है और किन-किन को सरप्लस कर रखा है ?

( च ) जिनको सरप्लस करार दे रखा है उनकी सर्विस कितने दिनों की है और जो काम पर लगे हुए हैं उनकी सर्विस कितने दिनों की है ? तफसीलवार बताइये।

# Page No.16



**श्री मोहनलाल सुखाड़िया ( राजस्व मंत्री )**—

( क ) जो कर्मचारी स्थायी विभाग में से डेपुटेशन पर इस विभाग में काम कर रहे हैं उनको स्थायी समझा गया; उनके अलावा सब को अस्थायी माना गया।

( ख ) (ख) भाग का उत्तर (क) में आ गया है।

( ग ) जो स्थायी विभाग से इसमें आये उनको नियमानुसार तरक्कियाँ मिली हैं, तहसीलदारी का ग्रेड देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

( घ ) इसका उत्तर (ग) में आया है।

( ङ ) स्थायी विभागों से आने वालों के अलावा सब नियुक्ति अस्थायी की गई थी इसलिए सरप्लस करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

( च ) स्थायी नियुक्ति जिनकी हुई हैं उनको सरप्लस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अतिरिक्त जो भी सरप्लस थे उनको कहीं न कहीं राज सेवा में नियुक्त कर दिया गया।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—यह डिपार्टमेन्ट स्थायी था या अस्थायी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—डिपार्टमेन्ट स्थायी है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—इन्टीग्रेशन की पहले यह डिपार्टमेन्ट स्थायी समझा जाता था या अस्थायी ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—इन्टीग्रेशन की पहले की स्थिति का मुझे पता नहीं।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—जब गवर्नमेन्ट ने इसको टेक ओवर ( take over ) किया उस समय इसको क्या करार दिया गया ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—इसके लिये नोटिस चाहता हूँ।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—माननीय मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि जो व्यक्ति दूसरे डिपार्टमेन्ट से आये थे वे स्थायी थे और जो डिपार्टमेन्ट में नये नियुक्त किये गये वे अस्थायी थे। इस प्रकार इन दोनों को अलग-अलग केटेगरी में क्यों रखा गया ?

**श्री मोनलाल सुखाड़िया**—जो दूसरे डिपार्टमेन्ट्स से आये थे उनकी स्थायी तरबियत पहले ही थी। उसके अलावा जिनकी नयी नियुक्ति हुई है उनको किन्हीं टर्म्स पर नियुक्त किया है, इसलिये दोनों की कन्डीशन में विभिन्नता अवश्य होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस डिपार्टमेन्ट में जो नियुक्तियें हुई हैं उनमें दो केटगरी क्यों की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जरूरत के मुवाफिक हर डिपार्टमेन्ट अपने यहाँ टेम्परेरी स्टाफ रखता है; उसमें और स्थायी स्टाफ में विभिन्नता होगी ही।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस डिपार्टमेन्ट में कैसे व्यक्तियों की स्ट्रेंगन्थ ज्यादा थी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अगर आप इस विषय में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं बाद में दे सकता हूँ।

प्रश्न संख्या ११११४

## गुजरात से, वर्षा ऋतु में, चराने के हेतु सिरोही में ढोरों का आना

श्री जवानसिह—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

( क ) क्या सरकार को विदित है कि गुजरात से वर्षा ऋतु में हजारों गायें, भेडें, बकरियाँ वगैरा राजस्थान में और खासकर सिरोही जिले में तीन माह के लिये घास चराने लाई जाती हैं और इस राज्य में इस कदर घास की कमी की समस्या को गंभीर बनाते हैं ?

( ख ) क्या सरकार को उपरोक्त गायों व भेड़-बकरियों की रोकथाम के लिये जनता की ओर से निवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? अगर हाँ, तो सरकार ने इस बाबत क्या निश्चय किया है ?

( ग ) क्या सरकार को यह विदित है कि गुजरात की सरकार राजस्थान से पशुओं को आने नहीं देती और इस तरह यहाँ के पशुओं को दुहरी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ?

श्री भोलानाथ—यह प्रश्न वन-विभाग से सम्बन्धित है, उनकी टर्न पर वे इसका जवाब देंगे—

श्री जवानसिह—क्या यह सही है कि जितनी भी गायें आती हैं उनकी पर्मिशन कमिश्नर ऑफ कस्टम देता है ?

श्री भोलानाथ—यह मामला चराई से सम्बन्धित है इसलिये वन विभाग से इसका ताल्लुक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह प्रश्न इन्टर स्टेट मुवमेन्ट से सम्बन्धित है, इसलिये इसका ताल्लुक आपके विभाग से है।

**श्री भोलानाथ**—इसमें जो चराई की बात लिखी गई है, इसलिये चराई का सम्बन्ध वन विभाग से है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—लेकिन जो गायें बाहर से लाई जाती हैं, उसके लिए इजाजत देना कस्टम विभाग का काम है।

**श्री भोलानाथ**—जितनी ज़मीन चराई के लिये होती है, उसी के अनुसार वन विभाग उतने ही पशुओं को लाने का फ्री पास देता है।

**श्री जवानसिंह**—प्रश्न चराई का नहीं है, पशुओं के आने का है?

**श्री भोलानाथ**—आने में तो कई बिकने के लिये भी आते हैं और चरने के लिए भी आते हैं।

**कुँ० श्री जसवन्तसिंह**—जो पशु राजस्थान में आते हैं उन पर आप कस्टम ड्यूटी चार्ज करते है या नहीं?

**श्री भोलानाथ**—राजस्थान में पशुओं के आने पर कोई कस्टम नहीं, लेकिन जाने पर कस्टम है।

**श्री जवानसिंह**—क्या यह सही है कि गुजरात से बिना कस्टम चुकाये, गायें-भेडें चराने के लिये राजस्थान में आती हैं।

**श्री भोलानाथ**—बिना कस्टम गायें-भेडें आ तो सकती हैं, किन्तु यदि वे उनको वापिस ले जाना चाहें तो उनको रवाना चुकाये बिना जाने नहीं दिया जाता।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—इस प्रकार आने-जाने की कन्डीशन तय करने का अधिकार कौन से विभाग को है?

**श्री भोलानाथ**—वन विभाग जितना घास अवेलेबल होता है, उतने ही पशुओं को आने की इजाजत देता है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—आने-जाने की कन्डीशन को रेगुलेट करने का काम किसका है?

**श्री भोलानाथ**—आने-जाने का तो प्रश्न ही नहीं। आने के लिये कितने ही मवेशी आयें, इसमें कोई तकलीफ नहीं, किन्तु यदि वे यहाँ से जाना चाहें तो उनको बिना रवाना किये, बिना कस्टम चुकाये वे यहाँ से जा नहीं सकते। जब तक वे कस्टम नहीं देते हैं, तब तक वे वापसी का इन्तजाम नहीं करा सकते। बिना कस्टम चुकाये रवाना कस्टम विभाग नहीं बना सकता।

प्रश्न संख्या ११९५

## जयपुर तहसील में बन्दोबस्त के परचे तकसीम करना

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर तहसील में बन्दोबस्त के परचे तकसीम होने में क्यों ढिलाई हो रही है ?

(ख) पर्चे तकसीम न होने की सूरत में इस तहसील में खालसा तथा जागीर दोनों क्षेत्रों में कहाँ-कहाँ पर लटाई ली जा रही है ?

(ग) इस तहसील के किस-किस जागीरी क्षेत्र में अब भी चौथा बाँटा लिया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) जयपुर तहसील में बन्दोबस्त के पर्चे फरवरी, १९५५ तक तकसीम कर दिये जायेंगे।

(ख) गैर खालसा क्षेत्र में करीब-करीब सब जगह लटाई की जाती है तथा कुछ गाँवों में इजारा भी है। खालसा क्षेत्र में सब जगह लगान बरूहे चकबन्दी तथा रेट चकबन्दी वसूल होती है।

(ग) इस तहसील में हर जगह छठा बाँटा लिया जाता है। किसी जागीर के गाँवों में चौथा बाँटा लिए जाने की रिपोर्ट नहीं आई है।

प्रश्न संख्या ११९६

## उन जिलों में जहाँ जिला बोर्ड्स कायम नहीं हैं 'एड होक' तरीके पर ऐसा करना

श्री खेतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जिन जिलों में फिलहाल जिला बोर्ड कायम नहीं हैं उन जिलों में जिले की प्रगति के कार्य करने के लिए एड होक तरीके पर जिला बोर्ड कायम किए जावेंगे ? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जी नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री खेतसिंह—डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की क्या सरकार को आवश्यकता प्रतीत नहीं

[ श्री खेतसिंह ]

होती ?

श्री रामकरण जोशी—नोमीनेट करके एडहॉक बनाने की।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार जिला बोर्डों के चुनाव की आवश्यकता फिर कब महसूस करेगी ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायतों के चुनाव होने के तुरन्त बाद जो तरीका है उसके मुताबिक कार्यवाही सम्पन्न होने पर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव होंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसमें कितना समय और लगेगा ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शेरगढ़ तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनने में कितना समय और लगेगा ?

श्री रामकरण जोशी—शेरगढ़ कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वह तो एक तहसील है। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह तहसील फिर किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में तो जरूर होगी या किसी में है ही नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—इसका नाम शेरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं होगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यह टेक्निकली आप फरमा सकते हैं। पर, शेरगढ़ जिस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आता है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनने में कितना समय लगेगा ?

श्री रामकरण जोशी—जो हम लोगों ने पंचायत कानून बनाया है उसके अनुसार पहले पंचायतों के चुनाव होने के बाद वहाँ के चुने हुए पंचों का इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और इसके बाद वे वोट देंगे और इस तरह से इन पंचायतों के चुनाव होने के बाद ही इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हो सकेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो, इसके बनने में कितना समय लगेगा, यही तो हम पूछ रहे हैं ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि इसमें एक साल का वक्त लग जावेगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—एक साल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अगर फन्क्शन नहीं करेगा, तो क्या वह जनतन्त्र में जनहित को हर्जा नहीं होगा ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायतों के बनने के बाद जनहित के काम शुरू

Page No.21



[ श्री रामकरण जोशी ]

जावेंगे और तब जनहित के कामों की धूम मच जावेगी । ये पंचायतें जल्दी ही बन रही हैं ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो फिर एडहॉक ( adhoc ) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री रामकरण जोशी—अपना कानून इतनी छूट नहीं देता है कि एडहॉक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सारे राजस्थान के लिए बनाए जावें ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—पंचायतों के चुनावों से पहले जहाँ एडहॉक कमेटियाँ हुई हैं तो क्या वे इस कानून के अनुसार हुई हैं ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं, इसके लिए दूसरा कानून है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जहाँ पहले से चल रहे हैं, वहाँ उनके नियमों के अनुसार काम किया जा रहा है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनने में देरी है, तब तक माननीय श्री खेतसिंहजी क्या करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—वे असेम्बली के मेम्बर हैं और इसलिए इसमें आकर सवाल पूछेंगे ।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सरकार के यह जानकारी में है कि कोटा डिविजन में कोटा, बूँदी, झालावाड़ में कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड काम नहीं कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य शेरगढ़ के बारे में पूछ रहे हैं ।

प्रश्न संख्या १११७

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री शिवदानसिंह ।

( अनुपस्थित )

नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह ।

प्रश्न संख्या १११८

**कस्टम तथा एक्साइज अधिकारियों द्वारा नीलाम की ऊँची बोलियें लगवाने सम्बन्धी कार्यवाही**

श्री मोहब्बतसिंह—Will the minister for Separato Revenue be pleased to state:—

( a ) Is it a fact that the Customs and Excise Officers at Sirohi induee the licensees of liquor and opium to go for very high bids in auction by manupulating and arranging bogus bidders ?

( b ) Is it also a fact that the bids of excise shops at Sirohi in auction have gone very high in comparison to other neighbouring Districts for the year 1953-54 ?

श्री भोलानाथ ( पृथक राजस्व मन्त्री )—( अ ) नहीं ।

( ब ) नहीं ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्टस जो हैं उनके मुकाबले में कितनी बिडस की गई हैं; यानि किस रेशियो में की गई हैं ?

श्री भोलानाथ ( पृथक राजस्व मन्त्री )—नेबरिंग डिस्ट्रिक्टस सिरोही, जालोर और पाली हैं । इनके मुकाबले में यहाँ की इन्कम कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है और इस तरह से लाइसेन्स की फीस भी सिरोही, जालोर और पाली के मुकाबले में उल्टी कम आई है । आपका खयाल यह है कि वहाँ आमदनी ज्यादा हुई है बिड करने से । अब मैं आपको थोड़े से आँकड़े बताऊं तो उससे आपको मालूम होगा कि सन् ५२-५३ में २,६६,०३२) रुपये की आमदनी हुई ।

सन् ५३-५४ में १,४१,८५७) रुपये की आमदनी रही ।

और सन् ५४-५५ में १,०६,५०८) रह गई ।

इस तरह से ५२-५३ से ५३-५४ में २८,२८३) की कमी रही ।

और ५४-५५ में और भी कम हो गई ।

श्री मोहब्बतसिंह—यह तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, और डिस्ट्रिक्टों में क्या हुआ ? वहाँ गिरी या बढ़ी ?

श्री भोलानाथ—बढ़ नहीं गई है । वह तो अपने आप में गिर गई है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शराब की खपत कम हो गई शेरगढ़ में......

श्री अध्यक्ष—शेरगढ़ का सवाल नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं, सिरोही में ।

प्रश्न संख्या १११६

श्री अध्यक्ष—श्री शिवदानसिंह।

( अनुपस्थित )

प्रश्न संख्या ११२०

लोहिया कॉलेज, चूरु में लेबोरेटरी विभाग में गैसमैन का पद रिक्त

श्री प्रभुदयाल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( क ) क्या यह सही है कि लोहिया कॉलेज, चूरू में लेबोरेटरी विभाग में गैसमैन का स्थान रिक्त पड़ा है?

( ख ) यदि हाँ, तो क्यों और कब तक पूर्ति की जावेगी?

श्री भोलानाथ—( क ) हाँ।

( ख ) वह स्थान इसलिए रिक्त है कि कॉलेज का अभी गैसप्लान्ट आया नहीं है। गैस प्लॉट आने पर यह स्थान भर दिया जावेगा।

श्री प्रभुदयाल—कब तक इसके आने की उम्मीद है?

श्री भोलानाथ—यह गैस प्लॉट कॉलेज के बनाने वाले सेठ कन्हैयालालजी लोहिया द्वारा दिया जाने वाला है और यह शीघ्र आ जावेगा तो यह स्थान भर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या ११२१

तहसील शेरगढ़ में पैमाइश

श्री खेतसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( क ) तहसील शेरगढ़ में पैमाइश का कार्य कब तक समाप्त कर दिया जावेगा?

[श्री खेतसिंह]

(ख) इस तहसील में गत कितने महीने से पैमाइश का कार्य चल रहा है और अब तक कितने गांवों की पैमाइश पूर्ण हो चुकी है ?

(ग) अब कितने गांव बकाया रहे हैं और उनमें पैमाइश का कार्य कब शुरू कर दिया जावेगा ?

(घ) तहसील शेरगढ़ को कितने एसेसमेंट सर्किल्स में विभाजित किया है और वे कौन-कौन से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) शेरगढ़ में पैमाइश का कार्य अप्रेल मास में समाप्त हो जाने की आशा है।

(ख) इस तहसील में पैमाइश का कार्य माह दिसम्बर, ५३ में शुरू किया। ४४ गावों में सर्वे किया जा चुका है, २७ गावों में सर्वे का काम चालू है।

(ग) बाकी १३ गावों में काम शुरू होना बाकी है और इनमें शीघ्र ही काम शुरू किया जावेगा।

(घ) सर्वे का काम समाप्त होने पर असेसमेंट सर्किल्स में विभाजन करने का कार्य हाथ में लिया जावेगा।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार सेटिलमेंट कमिश्नर के दिये हुए आश्वासनों के माफिक यह सेटिलमेंट और सर्वे का काम फसल के समय के वक्त बन्द रक्खेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर आवश्यकता हुई तो।

श्री खेतसिंह—क्या फसल बोने के वक्त को सरकार आवश्यक टाइम नहीं समझती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने आपसे अर्ज किया अभी कि अगर आवश्यकता हुई तो बन्द करेगी और मैं आपको सूचना के तौर पर यह भी अर्ज कर दूं कि फसल बोने के टाइम पर सर्वे नहीं किया जाता। इसलिए यही समझकर चलिये आप कि किसानों को या किसी को खेत पर से काम छोड़कर नहीं आना पड़ेगा।

श्री खेतसिंह—तो, वहां पर अभी सर्वे चल रहा है। तो ऐसी हिदायत आप करदें कि जब तक फसल का समय है वह सर्वे का काम बन्द रक्खा जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि यह डिटेल की बात है। अगर कहीं सर्वे हो भी रहा है तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होगी और ऐसी स्थिति अगर कहीं है तो वहां बन्द कर दिया जावेगा।

प्रश्न सख्या ११२२

## सिरोही जिले में वहां के पूर्वशासक के अतिरिक्त वे व्यक्ति जिन्हें सायर कर से मुक्ति

श्री मोहब्बत सिंह—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state:-

Are there some persons other than His Highness of former Sirohi State in the present Sirohi District who are exempted from Custome Duties? If so, please name them?

श्री भोलानाथ ( पृथक राजस्व मन्त्री ) — सिरोही कस्टम्स एक्ट सन् १६४४ की धारा १४ के अन्तर्गत महाराव सिरोही के अलावा किसी भी व्यक्ति को कस्टम की माफी नहीं है। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के नीबज, जावल, मोरागाव, भाटना, मानादार, अजरी और नादिया ठिकानों के जागीरदारों को उनके द्वारा किये गये मुहादों के अन्तर्गत प्रार्थना करने पर विवाह और मृत्यु के समय माफी मिल सकती है लेकिन वह सरकारी स्वीकृति पर निर्भर है। लेकिन, राजस्थान बनने के बाद किसी भी जागीरदार को माफी नहीं मिली है, केवल महाराव को माफी चालू है। इन जागीरदारों को माफी मिल सकती है पर वह सरकार की स्वीकृति पर निर्भर है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सिरोही जिले के अन्दर किसी जागीरदार को कोलसा निकालने की कस्टम दिये बगैर भी छूट है?

श्री भोलानाथ—कोलसा का क्या मतलब?

श्री अध्यक्ष—कोलसा यानि कोल जैसा कोयला से मतलब है।

श्री भोलानाथ—मैंने आपको बताया कि सिर्फ मृत्यु और विवाह के अवसर पर कुछ जागीरदारों को कस्टम माफ करने की बात है और वह भी सरकार की इच्छा पर निर्भर है :

श्री मोहब्बतसिंह—पहले वाले प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको सरकार की तरफ से कस्टम की माफी है, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको बगैर कस्टम दिये चारकोल निकालने की छूट है, अगर ऐसे लोग है तो उनके नाम बताने की कृपा करें।

श्री भोलानाथ—नहीं है।

## सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

# Page No.26



( १ ) श्री प्रतापसिंह ( वि० सं० ११५ ) १६ जुलाई, १९५४ से पूर्ण सत्र तक के लिए

( २ ) श्री चन्द्रकान्त राव ( वि०सं० २६ ) १६ जुलाई, १९५४ से पूर्ण सत्र के लिए।

( ३ ) श्री माधवप्रसाद एन. पंडित ( वि०सं० ६१ ) १६ जुलाई १९५४, से पूर्ण सत्र तक के लिए।

( ४ ) राजा श्री मानसिंह ( वि०सं० ६८ ) १६ जुलाई, १९५४, से ३१ जुलाई १९५४ तक के लिए।

( ५ ) श्री हंसराज जटिया ( वि० सं० ५२ ) १६ जुलाई के लिए।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Just out of curiosity, if you do not mind, I would like to know whether for those members who want leave of absence for the whole session, any reasons are necessary ?

श्री अध्यक्ष—Not necessary, I have myself not persued. but it is not necessary. It is by simple courtesy that the House allows.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Just out of curiosity......

श्री अध्यक्ष—If you like you can read their applications for leave.

कुं० श्री जसवन्तसिंह – No.

श्री अध्यक्ष—Yes. Secretary.

## सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अथवा राजप्रमुख की अनुमति

श्री सचिव ( श्री मनसाराम पुरोहित )— Sir, I lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Assembly and were assented to either by the President or by His Highness the Rajpramukh.

**Bill assented to by the President.**

The Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs ( Amendment ) Bill, 1954.

**Bills assented to by the Rajpramukh.**

The Rajasthan Produce Rents Regulating ( Amendment ) Bill, 1954

The Rajasthan Excise ( Amendment ) Bill, 1954.

श्री अध्यक्ष—Legislative Business.

पुरःस्थापित होने वाले विधेयक

**राजस्थान विधान सभा सदस्य ( निर्योग्यता निवारण ) संशोधन विधेयक, १९५४**

श्री जयनारायण व्यास ( मुख्य मंत्री )—Sir, I beg to move for leave to introduce the Bill to amend the Rajasthan Legislative Assembly Members ( Removal of Disqualifications ) Act, 1953.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

( विराम )

प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स ( रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन्स ) अमेन्डमेंट बिल, १९५४, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for....—

श्री अध्यक्ष—Third ( in the List ).

**राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४**

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ( राजस्व मन्त्री )—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to consolidate and amend the law relating to land, the appointment, powers and duties of revenue courts, revenue officers, village officers and village servants, preparation and maintenance of maps and land records, settlement of revenue rent, partitition of estates and collection of revenue and matters incidental thereto.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

( विराम )

क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू बिल, १९५४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

## राजस्थान गोशाला विधेयक, १९५४

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ( राजस्व मन्त्री )—Sir, I beg to move for leave to introduce the Bill to provide for the better management, control and development of Goshalas in the State of Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान गोशाला बिल, १९५४, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Ram Karan Joshi.

## राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४

श्री रामकरण जोशी—Sir; I beg to move for leave to introduce the Bill to consolidate and amend the law relating municipalities in the State of Rajasthan

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ( विराम ) क्या सदन की यह अनुमति है कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज बिल, १९५४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामकरण जोशी—Sir, I introduce the Bill.

वापिस लिया जाने वाला विधेयक

राजस्थान राज्य-सुरक्षा विधेयक, १९५२

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for special measures to prevent activities prejudicial to the security of the State.

( विरोधी दल की ओर से हियर, हियर )

( विराम )

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Is it the leave of the House ?

( स्वीकृत )

Permission has been given.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I withdraw the Bill.

श्री अध्यक्ष—श्री भोलानाथ ।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए समय में वृद्धि

राजस्थान सीमेण्ट विक्रय-कर विधेयक, १९५४

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move that the time appointed for presenting the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the imposition and levy of a tax on the sale of cement produced or manufactured in the State of Rajasthan be extended upto the last day of the current session.

श्री अध्यक्ष—Motion moved. ( विराम ) Is it the leave of the House ?

( स्वीकृत )

The extension is granted.

श्री अध्यक्ष—श्री जयनारायण व्यास ।

विचारार्थ विधेयक

राजस्थान तोल तथा माप विधेयक, १९५४

Page No.30



[ श्री जयनारायण व्यास ]

Sir, I beg to move that the Bill to provide for regulating the use of weights and measures in the State of Rajasthan and for other ancillary matters, as reported by the Select Commsttee, be taken into consideration

श्री अध्यक्ष—Motion moved,

श्री भैरोंसिंह ( वि० सं० १६ )—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यवाही की सूची में इस बिल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ऐसी सूरत में मैं, माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को आज विचारार्थ नहीं लिया जाकर दूसरी तारीख तक लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आपके पास कौनसी कॉपी पहुँची है।

श्री जयनारायण व्यास—कार्यसूची के तीसरे पेज पर है।

श्री भैरोंसिंह—प्रोसीडिंग के ३, ४, १, २ सब देख लिये हैं।

श्री अध्यक्ष—क्या सब माननीय सदस्यों के पास नहीं पहुँची है।

अनेक माननीय सदस्य—हमारे पास पहुँची है।

श्री अध्यक्ष—One Hon'ble Member says.

We take it as correct. There is an objecton form one Hon'ble Member only.

श्री भैरोंसिंह—एक के पास आया है या दो के पास, इसकी कोई बात नहीं है कि दूसरों के पास चला जाय, लेकिन जिसके पास नहीं आये उसकी मुश्किल है। इस बारे में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वह सब कागजात लेकर नहीं आया हूँ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आज विचार स्थगित कर दिया जाय ताकि जो कुछ भी हमने तैयारी की है वह हाउस के सामने रखी जा सके।

श्री अध्यक्ष—और कोई माननीय सदस्य पार्टिसिपेट (particpate) करना चाहते हैं इसकी डिबेट में, that is what I want.

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, यह कन्वेन्शन का सवाल है एक ही सदस्य...

श्री अध्यक्ष—That is not the question यह बात नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनको डिसबिलीव ( अविश्वास ) किया जा रहा है या ओवर रूल किया जा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो सदस्य पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वे पार्टिसिपेट कर लें और जिनके पास कॉपी नहीं पहुँची है वे कल पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसको आज कन्सीडरेशन स्टेट में छोड़ दिया जाय।

प्रस्ताव यह है कि राजस्थान वेटस एन्ड मेजर्स बिल, १६५४, को विचारार्थ लिया जाय जैसा कि सिलेक्ट कमेटी से एप्रूव हुआ है।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष......

# Page No.31



श्री अध्यक्ष–Yes. Set the bell rolling.

श्री तनसिंह—मैं इस बिल के बारे में दो बातें निवेदन करना चाहता हूँ ।......

माननीय अध्यक्ष, मैं इस बिल के बारे में दो बातें ही निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने इस बिल को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि इस बिल में वेट्स और मेजर्स के कम तोलने के लिए तो रेमेडी है लेकिन जो रेमेडीज़ ( remedies ) इस बारे में दूसरी जगह प्रेस्क्राइब की गई हैं उनमें और इसमें असंगति है । राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट और राजस्थान पंचायत एक्ट में जो सजा तजवीज की गई है उसमें और इसमें भिन्नता है, इसलिए एक चीज यह होनी चाहिये कि राजस्थान पंचायत एक्ट और राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट में जो प्रावीजन वेट्स और मेजर्स के बारे में है उनको संशोधित कर देना चाहिये क्योंकि उनमें कुछ और सजा तजवीज की गई है और इसमें ५००) रु० तक का जुर्माना तजवीज किया गया है । इसलिए एक ही प्रकार के जुर्म में दो तरह की सजा होने से गड़बड़ हो सकती है । अतः मेरा निवेदन यह है कि इस बिल में जो इस बारे में प्रोविजन हैं उनमें परिवर्तन करने की आवश्यता है और स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने जो टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ बिल पेश किया है उसमें यदि यह अमेंडमेन्ट कर दिया जाता है तो यह सवाल नहीं रहता ।

दूसरी बात यह है कि इस कानून के अन्तर्गत कुछ कायदे नाजायज ( Void contracts ) माने गये हैं । यदि किसी कम्पनी या दुकानदार ने कम तोला है और कम तोलने के कारण उसी व्यक्ति ने मुनाफा प्राप्त कर लिया है तो इस मुनाफे को वह वॉइड कोन्ट्रेक्ट के कारण मुनाफा वापिस लिया जाना चाहिए । जिस व्यक्ति का कोई कुसुर नहीं है और वह दुकानदार के पास जाता है कुछ चीज खरीदने के लिए और वह दुकानदार उसको धोखा देकर कम तोलता है और मुनाफा कमाता है और दूसरे किसी तरीके से वह कान्ट्रक्ट वोइड करार दिया जाता है तो इस बिल में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि उस मुनाफे को, जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट वोइड ( Void ) करार दिया जा चुका है, उस खरीददार को वापिस दिया जाय जिसको कि धोखा देकर दुकानदार ने मुनाफा कमाया है, यानि उस मुनाफे को दुकानदार से रिअलाइज़ करके एग्रीव्ड पर्सन को वापिस दिलाया जाय । इस सम्बन्ध में जो सजेशन है, उसमें लिखा है कि :

( श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन )

"Section 65 of the Contract Act :—

"When an agreement is discoveed to be void or when a contract becomes void any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it."

[ श्री खेतसिंह ]

इस सेक्शन की जो मंशा है उससे साफ रोशन है कि जो व्यक्ति एग्रीवृड है वह दीवानी अदालत में दावा करके, कोई फीस दाखिल करके मुकद्दमा लड़े और फैसला होने पर एडवान्टेज जो कि दुकानदार ने उठाया था उसे वापिस ले। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब उस आदमी को, जिसने कि ओछा ( कम ) तोला है उसको दण्ड मिल जाता है या उसको जब दोषी करार दे दिया जाता है तो एग्रीवृड पर्सन ( aggrieved person) के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वह दिवानी अदालत में कोई फीस भर कर नया दावा मुनाफा वापिस लेने के लिए करे। जो मुनाफा दूसरे व्यक्ति ने उसे धोखा देकर कम तोल कर किया है, जब इसको दोषी करार दे दिया जाता है तो उसको दिवानी अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। मैंने ये जो दो बातें रखी हैं, मैं आशा करता हूँ कि मन्त्रीजी इन पर गौर करके संशोधन को स्वीकार करेंगे।

( स्वीकृत )

श्री जयनारायण व्यास ( मुख्य मन्त्री )—क्या अध्यक्ष महोदय मैं यह समझूँ कि और कोई साहब इस पर बोलना नहीं चाहते ?

( श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन )

श्री भैरूँसिंह ( वि० सं० १६ )—इस पर मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास इसकी सूचना नहीं आई थी इसलिए मैं आज तैयार नहीं हूँ। इस पर मैं कल बोलूँगा, इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इस बिल को कल विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—और कोई बोलना चाहते हैं क्या ?

श्री जयनारायण व्यास—और कोई बोलते दिखाई नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष—Let us see if any body else wants to speek.

श्री मथुरादास माथुर—Members are not in a mood to participate in such an impoitant Bill, especially Mr. H. K. Vyas is not speaking.

श्री जयनारायण व्यास ( मुख्य मन्त्री )—जहाँ तक इस एक पोइन्ट के उत्तर का ताल्लुक है वह ५ मिनिट का है और ५ मिनिट के लिए मैं भैरूँसिंहजी को नाराज करना पसन्द नहीं करूँगा। मैं कल भी जवाब दे सकता हूं। यदि आप उनको इजाजत दें और वे कुछ कहना चाहें तो मुझे ऐतराज नहीं है और यदि आज उत्तर देने की बात कहें तो मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं आप ही पर इसे छोड़ता हूं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, आज हाउस होलिडे मूड ( holiday mood ) में मालूम होता है। कल रात भर लोग गाड़ी में चले हैं। गाड़ी में पंखे चल नहीं रहे थे और बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी, इसलिए आज मेम्बरान परेशान हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा

Page No.33



[ कुँ० श्री जसवन्तसिंह ]

कि आज का सारा काम कल ही लिया जाय तो ठीक रहेगा और हम काम अच्छी तरह से कर सकेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--आज प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट ले ली जाय।

एक माननीय सदस्य--वह आज के एजेन्डा में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--१९ और २० तारीख का एक ही एजेन्डा है और २० तारीख के अन्त में वह रखी गई है।

श्री उपाध्यक्ष--वैसे तो यह ऐतराज काफी नहीं है कि भैरूँसिंहजी को बिजनेस की सूचना नहीं मिली; क्यों कि बिल तो सर्क्यूलेट ( Circulate ) हो गया है और बिल का सर्क्युलेट होना काफी माना गया है और सर्क्युलेट होने के बाद किसी भी दिन लेने का स्पीकर को अधिकार है, लेकिन क्योंकि मेम्बर्स चाहते हैं तो राजस्थान वेट्स एण्ड मेज़र्स बिल को कल के लिए स्थगित करता हूं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--मेरे निवेदन का क्या हुआ।

## राजस्थान चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री उपाध्यक्ष--राजस्थान मेडिकल ( अमेन्डमेंट ) बिल को ले लिया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी--सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष--आपको क्या नहीं मिली है ?

श्री मोतीलाल चौधरी--इस बिल की सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष--सब लोगों के पास पहुंची है तो फिर आपके पास क्यों नहीं पहुँची ? आप दफ्तर से दरियाफ्त करें, मुमकिन है आपके मकान पर पहुँच गई हो; आप पहले वहाँ से निकल आये हों।

श्री मथुरादास माथुर--उनके मकान पर भी नहीं पहुँची।

श्री उपाध्यक्ष--बहुत से सदस्य आगे-पीछे फिरने में भी हो, सकते हैं, लेकिन यह शायद लास्ट टाइम सर्क्युलेट हो चुकी थी।

श्री जयनारायण व्यास--यह इस टाइम ही सर्क्युलेट हुई है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे निवेदन का क्या हुआ ?

**श्री जयनारायण व्यास**—विरोधी दल के नेता की इच्छा का आदर करना मैं भी पसन्द करूँगा । आज की मीटिंग को स्थगित कर दिया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष**—हाउस की मन्शा यह है कि सभा की कार्यवाही स्थगित की जाय । अच्छा, कल ८ बजे सुबह मीट करेंगे और कल इसके लिए कोई बात नहीं उठाई जाय कि हमने तैयारी नहीं की ।

**श्री भैरूँसिंह** ( दांता रामगढ़ )—ऑफिस को भी हिदायत कर दी जाय कि इस तरह क गलत न करें ।

( सदन की कार्यवाही ५ बज कर ११ मिनिट पर दिनांक २० जुलाई, १९५४ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई । )

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१९ जुलाई, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

## परिशिष्ट १

( वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है )

### प्रश्न

१०१६ ( १५५/ इ. एम. ) श्री चाँदमल मेहता, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ८७—क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

( क ) क्या यह सही है कि राजस्थान में कस्टम डयूटी की अवधि बढ़ाने के लिये भारत सरकार से मांग की जा रही है ?

( ख ) यदि हां तो कितने समय के लिये ?

### उत्तर

( क ) नहीं, अभी कोई माँग नहीं की गई है।

( ख ) प्रश्न नहीं उठता।

### प्रश्न

११०४. ( १४४/एल. एल. एम. ) श्री तेजपाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १५२—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

( क ) क्या कस्बा बयाना में हरिजन और जाटव बस्ती से मिले भाग में वर्ष के अधिकांश महिनों में गंदा पानी भरा रहता है

( ख ) यदि हां, तो सरकार इस पानी के निकालने की क्या और कब तक व्यवस्था कर रही है ?

( क ) क्या यह बात सरकार के समक्ष पहले भी लाई जा चुकी है ?

( घ ) यदि हां, तो अब तक उस पर कोई अमल क्यों नहीं हुआ ?

( ङ ) इस देरी का कारण है।

### उत्तर

( क ) जी हां, केवल कोई चार या पांच माह तक।